

**प्रपत्र सं0-35**

परियोजना का नाम- देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेन्ज के अर्न्तगत सोरना नदी के 23.75 हैक्ट0 क्षेत्र में उपखनिज चुगान की अनुमति के फलस्वरूप प्रभाग की थानों रेन्ज के सौड़ा ब्लॉक के 48 हैक्ट0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण हेतु स्थल विशिष्ट योजना।  
(देहरादून वन प्रभाग के अर्न्तगत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र 23.75 है0 का दो गुना 47.50 हैक्ट0 वन क्षेत्र या-48.00 है0)

| क्र0सं0           | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                                                                | नपत/ संख्या             | मात्रा                                   | दर              | घनराशि           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                                        | 5               |                  |
| <b>प्रथम वर्ष</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                          |                 |                  |
| 1                 | स्थल की सफाई एवं सर्वेक्षण                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00x100.00           | 10000.00 sqm                             | L S             | 5000.00          |
| 2                 | रोपण क्षेत्र की तार-बाड़ हेतु आर0सी0सी0 खम्भे (6 फुट लम्बे) कय करना (1.00 है0 में 180 रमी0 मानक मानते हुये)                                                                                                                                                 | -                       | 60 no.                                   | 300             | 18000.00         |
| 3                 | उक्त खम्भों का ढुलान कार्य लदाई-उतराई सहित (10 से 15 किमी0की दूरी से)                                                                                                                                                                                       |                         | 60 no.                                   | 20              | 1200.00          |
| 4                 | उक्त खम्भों को गाढ़ने हेतु 1:6:12 सी0मसाले से ग्रॉट करना                                                                                                                                                                                                    | 0.60x0.30x0.30          | 60 no.                                   | 22.7            | 1362.00          |
| 5                 | तार-बाड़ हेतु 3 लड़ कांटेदार तार खींचना                                                                                                                                                                                                                     | 60.00x3.00              | 180 mtr.                                 | 2.96            | 532.80           |
| 6                 | उक्त हेतु कांटेदार तार की आपूर्ति कीमत सहित                                                                                                                                                                                                                 | 3x180.00x0.125          | 67.50 kg                                 | 80.00           | 5400.00          |
| 7                 | स्टेपल आदि कय करना                                                                                                                                                                                                                                          | -                       | 5.00 kg                                  | 100.00          | 500.00           |
| 8                 | तार-बाड़ के चारों ओर 1.00 मी0 चौ0 में झाड़ी कटान कार्य                                                                                                                                                                                                      | -                       | 180.00 mtr.                              | 1.48            | 266.40           |
| 9                 | वृक्षारोपण हेतु सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य                                                                                                                                                                                                                 | -                       | 1.00 Hac.                                | 101.00          | 101.00           |
| 10                | रोपण से पूर्व सघन लैन्ताना झाड़ी का कटान कार्य (लैन्ताना झाड़ी का जड़ खुदान कर कार्य स्थल से दूर फेंकना)                                                                                                                                                    |                         | 1.00 Hac.                                | 9899.00         | 9899.00          |
| 11                | चैक प्लॉटों का सृजन करना (कोई चैक प्लॉट 2 है0 से अधिक नहीं होगा)                                                                                                                                                                                            |                         | 1.00 Hac.                                | 389             | 389.00           |
| 12                | रोपण हेतु गद्दों की निशानदेही करना                                                                                                                                                                                                                          | -                       | 2000 no.                                 | 19/- hundred    | 380.00           |
| 13                | रोपण हेतु गद्दों खुदान कार्य                                                                                                                                                                                                                                | 0.45x0.45x0.45          | 2000 no.                                 | 7.94            | 15880.00         |
| 14                | गद्दों में मिलाने हेतु खाद का मूल्य                                                                                                                                                                                                                         |                         | 2000 no.                                 | 34.50/- hundred | 690.00           |
| 15                | गद्दों का भरण कार्य                                                                                                                                                                                                                                         | 0.45x0.45x0.45          | 2000 no.                                 | 1.93            | 3860.00          |
| 16                | गद्दों के भरण हेतु जंगल से खोदकर ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलान कार्य (कुल मात्रा का लगभग 40 प्रतिशत)                                                                                                                                                         | 2000x0.45x0.45x0.45x40% | 72.90 m <sup>3</sup><br>or say 24 Trally | 1500.00         | 36000.00         |
| 17                | उक्त मिट्टी का श्रमिकों द्वारा स्थानीय ढुलान दूरी 150 मी0 तक                                                                                                                                                                                                | 72.90x15                | 1093.50 qtl.                             | 53/- qtl./-km   | 8693.33          |
| 18                | वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य                                                                                                                                                                                                            | -                       | 1.00 Hac.                                | 7400.00         | 7400.00          |
| 19                | औजारों की मरम्मत, चूना, रस्सी आदि पर व्यय                                                                                                                                                                                                                   |                         | 1.00 Hac.                                | 1100.00         | 1100.00          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                          | <b>Total</b>    | <b>116653.53</b> |
| 20                | प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0-89/3-5-2 दि0-06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयंत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्त्रोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान | -                       | -                                        | L. S            | 7000.00          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                          | <b>G.Total</b>  | <b>123653.53</b> |

**द्वितीय वर्ष**

|    |                                                                                                                      |   |           |                       |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------|----------|
| 1  | रोपण हेतु पौधों की आपूर्ति करना (10 प्रतिशत अतिरिक्त)                                                                | - | 2200 no.  | 7.15                  | 15730.00 |
| 2  | उक्त पौधों का ट्रैक्टर द्वारा ढुलान कार्य दूरी 20 किमी0 तक                                                           | - | 2200 no.  | 163/- hundred         | 3586.00  |
| 3  | उक्त पौधों का लोडिंग अन लोडिंग कार्य                                                                                 | - | 2200 no.  | 60/- hundred          | 1320.00  |
| 4  | उक्त पौधों का श्रमिकों द्वारा स्थानीय ढुलान कार्य दूरी 250 मी0 तक                                                    | - | 2200 no.  | 149.48/- hundred/- km | 882.14   |
| 5  | पौधों का रोपण कार्य (थावला बन्दी सहित)                                                                               | - | 2000 no.  | 254.56/- hundred      | 5091.20  |
| 6  | वृक्षारोपण के पश्चात लैन्ताना युक्त झाड़ी आदि कटान कार्य                                                             | - | 1.00 Hac. | 1728.00               | 1728.00  |
| 7  | वृक्षारोपण क्षेत्र में साल भर रोपित पौधों की देख-रेख का कार्य करना (कम से कम 10 हैक्ट0 वृक्षा0 क्षेत्र में 1 श्रमिक) | - | 9 months  | 630.00                | 5670.00  |
| 8  | औजारों की मरम्मत, चूना, रस्सी आदि पर व्यय                                                                            | - | 1.00 Hac. | 1100.00               | 1100.00  |
| 9  | पौधों की दो बार निराई-गुड़ाई व थावला बन्दी कार्य                                                                     | - | 2000 no.  | 6640.00               | 6640.00  |
| 10 | रोपण के पश्चात अग्नि सुरक्षा कार्य                                                                                   | - | 1.00 Hac. | 104.00                | 104.00   |
| 11 | निरीक्षण उचित निरीक्षण कार्य (कम से कम 10 हैक्ट0 वृक्षा0 क्षेत्र में 1 श्रमिक)                                       | - |           |                       |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           |         |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|----------|
| 12 | अन्य व्यय                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 1.00 Hac. | 444.00  | 444.00   |
| 13 | अन्य आकस्मिक व्यय कन्टेजेन्सी                                                                                                                                                                                                                             | - | -         | L. S    | 2000.00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           | Total   | 45020.34 |
| 14 | प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं०-89/3-5-2 दि०-06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयंत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्तोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान | - | -         | L. S    | 7000.00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           | G.Total | 52020.34 |

तृतीय वर्ष

|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |         |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------|
| 1 | पौधारोपण (बीटिंगअप) 20 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                            | 400 पौध | 400 पौध   | 2.55    | 1020.00  |
| 2 | उक्त हेतु पौधों की आपूर्ति कीमत सहित                                                                                                                                                                                                                      | 400 पौध | 400 पौध   | 7.15    | 2860.00  |
| 3 | वृक्षारोपण क्षेत्र में साल भर रोपित पौधों की देख-रेख का कार्य करना (कम से कम 10 हैक्टो वृक्षा० क्षेत्र में 1 श्रमिक)                                                                                                                                      | -       | 12 months | 630.00  | 7560.00  |
| 4 | वृक्षारोपण क्षेत्र में लैन्टाना झाड़ी आदि कटान कार्य                                                                                                                                                                                                      | -       | 1.00 Hac. | 864.00  | 864.00   |
| 5 | वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा कार्य                                                                                                                                                                                                                |         | 1.00 Hac. | 104.00  | 104.00   |
| 6 | अन्य व्यय (वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना)                                                                                                                                     |         | 1.00 Hac. | 444.00  | 444.00   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           | Total   | 12852.00 |
| 7 | प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं०-89/3-5-2 दि०-06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयंत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्तोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान | -       | -         | L. S    | 7000.00  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           | G.Total | 19852.00 |

चतुर्थ वर्ष

|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |       |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----------|
| 1 | पौधों की सिंचाई एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार                                                                                                                                                                                                           | - | - | -     | 12852.00 |
| 2 | मजदूरी दरी में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                               |   |   |       | 1285.20  |
| 3 | प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं०-89/3-5-2 दि०-06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयंत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्तोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान | - | - | L. S  | 7000.00  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   | Total | 21137.20 |

पंचम वर्ष

|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |       |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|----------|
| 1 | पौधों की सिंचाई एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार                                                                                                                                                                                                           | - | - | -     | 14137.00 |
| 2 | मजदूरी दरी में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                               |   |   |       | 1413.70  |
| 3 | प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं०-89/3-5-2 दि०-06.06.2013 के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों के समीप रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को वैकल्पिक ईंधन संयंत्र, धूम्ररहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, गैस स्तोव आदि के वितरण हेतु आवश्यक प्राविधान | - | - | L. S  | 7000.00  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   | Total | 22550.70 |

छटा वर्ष

|   |                                                   |   |           |        |         |
|---|---------------------------------------------------|---|-----------|--------|---------|
| 1 | पौधों की वर्ष भर सुरक्षा एवं अनुरक्षण आदि पर व्यय | - | 12 months | 630.00 | 7560.00 |
| 2 | पौधों की अग्नि से सुरक्षा                         | - | 1.00 Hac. | 104.00 | 104.00  |
|   |                                                   |   |           | Total  | 7664.00 |
| 3 | मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत      |   |           |        | 766.40  |
|   |                                                   |   |           | Total  | 8430.40 |

सातवां वर्ष

|   |                                                        |  |   |   |         |
|---|--------------------------------------------------------|--|---|---|---------|
| 1 | पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार |  | - | - | 8430.00 |
| 2 | मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत           |  |   |   | 843.00  |

आठवां वर्ष

|   |                                                        |  |   |              |                 |
|---|--------------------------------------------------------|--|---|--------------|-----------------|
| 1 | पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार |  | - | -            | 9273.00         |
| 2 | मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत           |  |   |              | 927.30          |
|   |                                                        |  |   | <b>Total</b> | <b>10200.30</b> |

नवां वर्ष

|   |                                                        |  |   |              |                 |
|---|--------------------------------------------------------|--|---|--------------|-----------------|
| 1 | पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार |  | - | -            | 10200.00        |
| 2 | मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत           |  |   |              | 1020.00         |
|   |                                                        |  |   | <b>Total</b> | <b>11220.00</b> |

दसवां वर्ष

|   |                                                        |   |   |                |                  |
|---|--------------------------------------------------------|---|---|----------------|------------------|
| 1 | पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार | - | - | -              | 11220.00         |
| 2 | मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्धि 10 प्रतिशत           |   |   |                | 1122.00          |
|   |                                                        |   |   | <b>Total</b>   | <b>12342.00</b>  |
|   |                                                        |   |   | <b>G.Total</b> | 290679.47        |
|   |                                                        |   |   | <b>Say</b>     | <b>290600.00</b> |

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०- 596/3-5-2 दिनांक-17.08.2015 के द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशि के निर्धारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण में प्रति हैक्ट0 आने वाला अनुमानित व्यय- ₹0 2,09,000.00

परियोजना क्षेत्र के कुल 23.75 है० के दुगुने 47.50 है० या 48 हैक्ट0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर आने वाला कुल अनुमानित व्यय-  $2,09,000.00 \times 48 = 1,00,32,000.00$

(₹0 एक करोड़ बत्तीस हजार मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी  
देहरादून वन प्रभाग  
देहरादून